(125)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3778–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–6–15 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, नजूल वृत्त बैरागढ़ भोपाल प्रकरण कमांक 10/अ–12/14–15.

निरंजन राजपूत आत्मज हुकुम सिंह राजपूत
निवासी म. नं. 118/20
आई सेक्टर, गर्ल्स स्कूल के पास, पंचवटी
एयरपोर्ट रोड, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– खालिद अमान आत्मज स्व. फारूख अमान
निवासी ई–5, फेस–2
कहकशां काम्पलेक्स, कोहेफिजा, भोपाल
2– मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री बी.एन. कोचर, अभिभाषक, आवेदक
श्री सैयद मुजददिद हसन, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, नजूल वृत्त बैरागढ़ भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 खालिद अमान द्वारा उसके स्वत्व की ग्राम लाऊखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 141/1/ख रकबा 0.202 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक, नजूल वृत्त बैरागढ़ भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 5–6–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा ग्राम लाऊखेड़ा स्थित सर्वे कमांक 142 रकबा 0.410 हेक्टेयर में से 1000 वर्गफीट भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम दिनांक 30–3–13 को कय किया जाकर राजस्व अभिलेखों में विधिवत नामांतरण कराया गया है, जिस पर उसका शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 द्वारा सर्वे कमांक 142/1 रकबा 0.371 में से रकबा 0.202 हेक्टेयर दिनांक 28–8–14 को कय की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बटान एवं सीमांकन कार्यवाही की सूचना किसी भी हितबद्ध पक्षकार एवं पड़ोसी कृषकों को नहीं दी गई है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होकर संहिता में दी गई विधि एवं प्रकिया के विपरीत भी है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 792–अ/15 प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक को दिनांक 17–9–15 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा निगरानी मेमों के चरण कमांक 1 में खसरा कमांक 142 रकबा 0.410 हेक्टेयर में से भूमि कय करने का उल्लेख किया गया है, किन्तु आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । वास्तविकता यह है कि आवेदक द्वारा खसरा कमांक 142/1/क का अंश भाग 1000 वर्गफीट भूमि तथाकथित विकय पत्र दिनांक 30–3–13 को कय किया जाना अधीनस्थ न्यायालय में विचारण प्रकरण कमांक 101/अ–70/2015–16 में प्रस्तुत उत्तर में अभिवचनित किया गया है और पंजी कमांक 39 दिनांक 1–1–2014 को नामान्तरण होना स्वीकार किया गया है ।

(2) आवेदक द्वारा निगरानी के तथ्य चरण कमांक 1 में स्वयं के द्वारा खसरा कमांक 142 रकबा 0.410 हेक्टेयर कय करना बताया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त भूखण्ड खसरा कमांक 142/1/क पर प्रतिस्थापित होकर नामांतरण पंजी कमांक 39 दिनांक

1–1–2014 में भी दर्ज है । इस प्रकार आवेदक द्वारा विधि विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 द्वारा खसरा कमांक 142/1 ख रकबा 0.202 पंजीकृत विक्रय पत्र से कय की जाकर नामांतरण पंजी कमांक 52 पर दिनांक 22–9–2014 को नामांतरण कराया जाकर उक्त भूमि का दिनांक 5–6–15 को विधिवत मेड़ पड़ोसियों को सूचना पत्र जारी कर सीमांकन किया गया है और पंचगणों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया है एवं उपस्थित पंचों के द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया है । उक्त सीमांकन में अनावेदक कमांक 1 की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 की प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा 1000 वर्गफीट पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 792/2015 प्रस्तुत किया गया है और पंचम अपर जिला न्यायाधीश भोपाल के विविध दीवानी अपील कमांक 150/2015 आदेश दिनांक 17–3–2016 द्वारा आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है ।

(5) आवेदक के अतिरिक्त अन्य 4 व्यक्तियों द्वारा सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध कोई निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(6) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया गया है। अतः तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी आवेदक को थी, किन्तु उनक द्वारा मिथ्या कथन इस न्यायालय के समक्ष किया गया है ।

तर्कों के समर्थन में 1997 आर.एन. 92, 2003 एम.पी.डब्ल्यू.एन. (I) 248 एवं 2001 एम. पी.डब्ल्यू.एन. (I) 24 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है और न ही पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है, जबकि सीमांकन कार्यवाही में हितबद्ध व्यक्तियों एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, नजूल वृत्त बैरागढ़ भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–15 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जाकर पुनः सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर